राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक :एफ 11(167) एससी एसटी ओबीसी / जा.प्र.प. / डीडीबीसी / सान्याअवि / 2021/48742-75 जयपुर दिनांक 18/10/2021

समस्त जिला कलेक्टर।

परिपत्र

विषय :- अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने तथा आर्थिक कमजोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को पर Income & Asset Certificate जारी किये जाने के संबध में ।

(संदर्भ :- मंत्रीमण्डल आज्ञा 134/2021 दिनांक 28.09.2021)

जैसा कि विदित है कि राज्य में प्रायः अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को Income & Asset Certificate जारी किये जाने हेतु प्रमाण पत्र धारक के नाम के आगे केवल उसके पिता के नाम का अंकन किया जा रहा है।

परन्तु बदलते सामाजिक परिवेश में ऐसी एकल महिलायें जो कानूनी रूप से तलाकशुदा है या पारिवारिक कलह, मनमुटाव, घरेलु हिंसा के कारण पति से अलग रहती है, तथा ऐसी एकल महिलाऐं जिनके बच्चों के पिता या उनके पिता की जाति की कोई जानकारी नहीं है, तो उनके बच्चों के जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बडी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है।

इसी तरह आर्थिक कमजोर वर्ग की ऐसी एकल महिलाऐ जो कि कानूनी रूप से तलाकशुदा है, या पारिवारिक कलह, घरेलु हिसा के कारण पति से अलग रहती है तथा ऐसी महिलाऐं जिनके बच्चो के पिता की कोई जानकारी नही है एवं ना ही पिता की जाति के बारे में पता हो, तो वर्तमान मे ऐसी महिलाओं के बच्चों के Income & Asset Certificate माता व परिवार के अन्य सदस्यों की आय के आधार पर एवं माता के नाम से जारी नहीं किये जा रहे है।

अतः उक्त क्रम में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने तथा आर्थिक कमजोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को Income & Asset Certificate जारी किये जाने के संबध मे मंत्रीमण्डल आज्ञा 134/2021 दिनांक 28.09.2021 के अनुपालना में निम्नानुसार निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:-

(क.) अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र के संबध में:-

क्र.स.	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	ऐसी एकल महिलायें जो कि कानूनी रूप से तलाक शुदा हैं एवं उक्त महिला एवं उसके पति की जाति समान हो तो ऐसी एकल महिलाओं के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र उनकी माता के नाम से जारी हो सकता हैं या नहीं।	ऐसी एकल महिलायें जो कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं एवं उक्त महिला एवं उसके पति की जाति समान हैं तो ऐसी एकल महिलाओं के बच्चो का जाति प्रमाण--पत्र माता के नाम से भी जारी किया जा सकता हैं।
2.	ऐसी एकल महिलायें जो कि पारिवारिक कलह, मनमुटाव, घरेलु हिसा के कारण पति से अलग रहती हैं तथा उक्त महिला एवं उसके पति की जाति समान हो लेकिन कानूनी रूप से उस महिला का तलाक नही हुआ हो तो क्या ऐसी एकल महिलाओं के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र	ऐसी एकल महिलाये जो पारिवारिक कलह, मनमुटाव, घरेलू हिंसा के कारण पति से अलग रहती हैं तथा उक्त महिला एवं उसके पति की जाति समान हो, लेकिन कानूनी रूप से उस महिला का तलाक नही हुआ हो एवं बच्चे माता के साथ रहते हैं तो ऐसी एकल महिलाओं के

	उनकी माता के नाम से जारी हो सकता हैं या नहीं।	बच्चो का जाति प्रमाण–पत्र माता के नाम से जारी किया जा सकता हैं।
3.	ऐसी महिलायें जिनके बच्चों के पिता की कोई जानकारी नहीं हैं एवं ना ही पिता की जाति के बारे में पता हो तो ऐसी महिलाओं के बच्चों को महिला की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता हैं या नहीं।	ऐसी एकल महिलाये जिनके बच्चो के पिता की कोई जानकारी नही हैं एवं ना ही पिता की जाति के बारे में पता हैं, ऐसी महिलाओ के बच्चो का महिला की जाति के आधार पर जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकता हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के साथ यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि आमतौर पर जाति प्रमाण–पत्र पिता की जाति के आधार पर ही बनाये जाते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति, तलाकशुदा, परित्यक्ता व विधवा महिला के बच्चों के प्रमाण–पत्र उसकी माता की जाति समुदाय के आधार पर बनाये जा सकते हैं, यदि बच्चो का लालन–पालन उनकी माता के सानिध्य में हुआ हो।

(ख.) आर्थिक कमजोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को माता की आय के आधार पर Income & Asset Certificate जारी किये जाने के संबध में

क्र.स.	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की ऐसी एकल महिलाऐ जो कि कानूनी रूप से तलाकशुदा है एवं उक्त महिला एवं उसके पति भी अनारक्षित वर्ग (अर्थात एससी, एसटी एवं ओबीसी के अतिरिक्त) से संबंध रखता हो, चाहे उसकी जाति उस अनारक्षित वर्ग में दोनो की समान हो या दोनों की भिन्न–भिन्न हो तो ऐसी महिला को स्वयं या उसकी संतान को माता के स्वयं भार साधन (Possession) तथा उस एकल महिला के माता–पिता व 18 साल से कम आयु के उनके बच्चो की संयुक्त निर्धारित वार्षिक आय एवं सम्पति की गणना के आधार पर उस एकल महिला को स्वयं एवं उसके बच्चो को क्या आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) का Income and Asset Certificate जारी किया जा सकता है एवं दूसरा क्या उस एकल महिला को उसके पिता के नाम तथा उसके बच्चो को उसके स्वयं पिता के नाम के स्थान पर उनकी माता के नाम उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की ऐसी एकल महिलायें जो कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं उनके मामलें में आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) का Income & Asset Certificate जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा न्यायालय से तलाक की डिक्री में वर्णित तथ्यों के आधार पर Certificate जारी करने के बारे में निर्णय लिया जाना है जो प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उक्त प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा अर्थात माननीय न्यायालय द्वारा डिक्री आदेश में महिला को कोई सम्पति तथा भत्ता यदि देय हो तो उसे महिला की आय/सम्पति की गणना में जोडा जायेगा।
2.	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की ऐसी एकल महिलाऐ जोकि पारिवारिक कलह, घरेलु हिंसा के कारण पति से अलग रहती है तथा उक्त महिला एवं उसके पति भी अनारक्षित वर्ग (अर्थात एससी, एसटी एवं ओबीसी के अतिरिक्त) से संबंध रखता हो, चाहे उसकी जाति उस अनारक्षित वर्ग में दोनो की समान हो या दोनो की भिन्न–भिन्न हो तथा पति की आय एवं सम्पति की गणना किये बिना क्या ऐसी एकल महिला के माता–पिता व 18 साल	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की ऐसी एकल महिलायें जो पारिवारिक कलह, मनमुटाव, घरेलू हिंसा के कारण पति से अलग रहती है, उन्हे बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिधि अनुसार अपने पति से अलग नहीं माना जा सकता है। अर्थात पति की आय को परिवार की वार्षिक आय की गणना में शामिल किया जायेगा।

	से कम आयु के उनके बच्चो की संयुक्त निर्धारित वार्षिक आय एवं सम्पति की गणना के आधार पर उस एकल महिला को स्वयं एवं उसके बच्चो को क्या आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) का Income and Asset Certificate जारी किया जा सकता है एव दूसरा क्या उस एकल महिला को उसके पिता के नाम तथा उसके बच्चो को उसके स्वयं पिता के नाम के स्थान पर उनकी माता के नाम उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।	
3.	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) ऐसी महिलाऐ जिनके बच्चो के पिता की कोई जानकारी नही है एवं ना ही पिता की जाति के बारे मे पता हो तो क्या ऐसी एकल महिला के माता–पिता व 18 साल से कम आयु के उनके बच्चो की वार्षिक आय एवं सम्पति की गणना के आधार पर उस एकल महिला को स्वयं एवं उसके बच्चो को क्या आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) का Income and Asset Certificate जारी किया जा सकता है एवं दूसरा क्या उस एकल महिला को उसके पिता के नाम तथा उसके बच्चो को उसके स्वयं पिता के नाम के स्थान पर उनकी माता के नाम उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के ऐसी महिलायें जिनके बच्चों के पिता की कोई जानकारी नहीं है, उसमें महिला के पति को अनुपस्थित मानते हुये परिवार के शेष सदस्यों की आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

अतः समस्त सक्षम अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने तथा आर्थिक कमजोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को Income & Asset Certificate जारी किये जाने के संबध मे उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में संबधित प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही सम्पादित करावें।

(डा. समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांक :एफ 11(167) एससी एसटी ओबीसी / जा.प्र.प / डीडीबीसी / सान्याअवि / 2021/48776-800 जयपुर दिनांक 18/10/2021

प्रतिलिपि निम्नांकितो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) प्रमुख सचिव / सचिव माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3) वरिष्ठ सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4) समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव शासन सचिवालय जयपुर।
5) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
6) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
7) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
8) सचिव, राजस्थान अधिनस्थ मंत्रालियक एवं कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा , जयपुर
9) सयुंक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10) रक्षित पत्रावली

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव